Q.N-2

[Indian Constitution]

Q. (2.) भारतीय संविधान के सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक आधारों की विवेचना करें।

उत्तर:- भारतीय संविधान में अनेक सामाजिक आर्थिक आधारों और दर्शन की झलक मिलती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्ययन से भारतीय संविधान के सामाजिक आर्थिक आधार एवं दर्शन स्पष्ट हो जाते हैं। इन भावनाओं की चर्चा इस प्रकार की जा सकती है:-

(1.) संविधान की प्रस्तावना में निहित आदर्शों एवं लक्ष्यों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इसकी प्रस्तावना में ही आर्थिक और सामाजिक दर्शन निहित है।

(2) भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रावधान में भी भारतीय संविधान के सामाजिक तथा आर्थिक आधार एवं दर्शन की झलक मिलती है।

(3) संविधान के अन्तर्गत नागरिकों को काम पाने के संबंध में अवसर की समानता का अधिकार दिया गया है। जैसे - राज्य समाज के पिछड़े वर्गों एवं दलित वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में

स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था कर सकता है। किसी भी नागरिक को रोजगार, नियुक्ति एवं उच्चपद प्राप्त करने के संबंध में किसी तरह का भेद नहीं किया जाता है।

(ii) संविधान द्वारा नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देकर सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गयी है।

(iii) संविधान में सामाजिक समता का प्रावधान मिलता है। संविधान में कहा गया है धर्म, वंश जाति, लिंग एवं जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिकों को सार्वजनिक स्थल में प्रवेश करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।

(iv) संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया है। यह सामाजिक आधार है।

(v) सैनिक उपाधियों के अतिरिक्त अन्य सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया यह भी सामाजिक आधार है।

(vi) नागरिकों को बिना किसी भेद-भाव के कतिपय स्वतंत्रता के अधिकारों के उपयोग का अवसर दिया गया जिसे भारतीय संविधान का सामाजिक आधार एवं दर्शन कहा जा सकता है।

(vii) भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुसार 14 वर्ष कम उम्र के बच्चों को

किसी कारखाना, खान अथवा किसी प्रकार के खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता है।

(viii) सामाजिक और आर्थिक आधार को मजबूत करने के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक वैधानिक का दर्जा दिया गया।

(ix) धर्म के आधार पर नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करके संविधान के सामाजिक आधार को मजबूत किया गया है।

(x) अल्पसंख्यक लोगों की भाषा एवं संस्कृति की रक्षा का भी प्रावधान किया गया है।

(B) संविधान के चौथे अध्याय अर्थात् राज्य के नीति- निदेशक तत्वों के अंतर्गत भी भारतीय संविधान के सामाजिक एवं आर्थिक आधार तथा दर्शन के प्रावधान देखने को मिलते हैं।

[A] राज्य के नीति - निदेशक तत्वों के अन्तर्गत यह प्रावधान किया जाता है कि राज्य सभी नागरिकों को रोजगार दिलाने, शिक्षा पाने और वृद्धावस्था, बिमारी ~~और~~ अंगविहीन होने की स्थिति में उचित सहायता प्रदान करना। यह संविधान के आर्थिक आधार को सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है।

[B] भारतीय संविधान के आर्थिक की मूलक राज्य

के नीति- निर्देशक तत्व के अंतर्गत एक प्रावधान मिलता है राज्य ग्रामीण उद्योगों को विकसित कर आर्थिक दशा सुधारने का प्रयास करेगा।

(c) राज्य कृषि, पशुपालन आदि क्षेत्रों में वैज्ञानिक एवं आधुनिक तरीकों का प्रयोग कर आर्थिक उन्नति का प्रयास करेगा।

(d) राज्य के नीति- निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक आधार की एक स्पष्ट झलक मिलती है। संविधान में यह प्रावधान है कि पिछड़े हुए वर्गों अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक विकास के लिए प्रयास किया जाएगा उन्हें सामाजिक अन्याय तथा शोषण से बचाया जाएगा।

निष्कर्ष :→
इन प्रावधानों से ही भारतीय संविधान के सामाजिक एवं आर्थिक दर्शन का निर्माण होता है भारतीय संविधान का आर्थिक दर्शन गाँधी - वादी सिद्धांत पर आधारित है। लोककल्याणकारी राज्य के स्थापना के उद्देश्य से ही सामाजिक दर्शन का निर्माण किया गया। भारतीय संविधान के सामाजिक एवं आर्थिक आधार तथा दर्शन की सफलता उसके कार्यान्वित करने वाले लोगों के ऊपर

दिनांक है।

संवैधानिक प्रस्तावना

भारतीय संविधान सभा के द्वारा लक्ष्यों का नवीन प्रस्तावना से लिया गया है। यह संविधान तथा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित हुआ। 42 वें संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ और शब्दों तथा भावों को जोड़ा गया। भारत संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है:- हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत् 2006 विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

"प्रस्तावना के महत्व"

[A] संविधान का स्त्रोत जनता है :- भारत के लोग भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित करते है?
क्योंकि संविधान के प्रस्तावना की सबसे पहली नींव जनता ही है और भारतीय शासन की अन्तिम सत्ता जनता में निवास करती है।
इसीलिए तो " अमेरिका की तरह ही भारतीय संविधान के निर्माण में राज्य के बजाय भारत की जनता का सर्वोपरि हाथ था। "

[B] " सम्पूर्ण - प्रभुत्व - सम्पन्न :- प्रस्तावना में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि भारत को एक " सम्पूर्ण - प्रभुत्व - सम्पन्न " शब्द बनाना है। कानून की दृष्टि से इसके ऊपर न तो किसी आंतरिक शक्ति का प्रतिबंध है और न किसी बाहरी शक्ति का।

[C] शासन के ध्येयों की घोषणा :- भारतीय शासन के ध्येयों की घोषणा प्रस्तावना में तीन तरह के शासन के रूप में की गई है- कार्यपालिका व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व के सिद्धान्त को आधार स्तंभ माना गया है!

(4) लोकतंत्रात्मक संविधान :-

प्रस्तावना में भारत के संविधान को एक लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया गया। प्रस्तावना के शब्दों में न्याय, स्वतंत्रता, समता, अधिकार की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता आदि महत्वपूर्ण हैं और देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र होगा।

(5) गणराज्य :-

भारत में लोकतंत्रीय गणराज्य की स्थापना की गयी है। इसमें भारत का प्रतिरूप होता है। संविधान की प्रस्तावना में "गणराज्य" शब्द का उपयोग इस दिशा पर प्रभाव डालता है। गणराज्य दो प्रकार के होते हैं- (i) वंशानुगत लोकतंत्र (ii) लोकतंत्रीय गणतंत्र, एक लोकतंत्रीय व्यवस्था है। भारतीय संविधान के अन्तर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है।

(6) न्याय :-

प्रस्तावना में न्याय के द्वारा ही सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। अतः सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना राज्य का परम कर्तव्य है। सामाजिक न्याय का अभिप्राय यह है कि मानव-मानव में जाति, वर्ण, रंग, धर्म

अत्याचार पर रोक न किया जाए।

(6) स्वतंत्रता :-

स्वतंत्रता का अर्थ नागरिक स्वतंत्रता, उसमें विचार भाषण, अभिव्यक्ति तथा संगठन बनाना संपत्ति रखने की स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता - इसमें मतदान में भाग लेना, चुनाव में भाग लेना सरकार की आलोचना करना इत्यादि राजनीतिक स्वतंत्रता है।

(7) समता :-

व्यक्ति के विकास के लिए समुचित अवसर की उपलब्धता धन जाति वंश के आधार पर समान मनुष्य के बीच विभेदन हो सबको समान रूप से शासन में भाग लेने का अधिकार योग्यता के आधार पर समान वेतन प्राप्त का अधिकार।

(8) धर्मनिरपेक्षता :-

राज्य के नागरिकों को धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है क्योंकि धर्म निरपेक्ष राज्य किसी धर्म को प्रोत्साहन नहीं देता और न वह किसी के साथ कठोरता का ही व्यवहार करता है। इसलिए तो भारतीय संविधान में धर्म और उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अतः [illegible] हमारा देश भारत को हमेशा धर्मनिरपेक्ष बनाये रखना है।

(9) राष्ट्रीय एकता :-

भाषा और जाति की विविधता होते हुए भी समाज एवं राष्ट्र में सांस्कृतिक एकता को एक जाति का प्रसार किया जाता।

निष्कर्ष :- भारतीय संविधान की प्रस्तावना को मुख्य हृदय माना जा सकता है, कल्याण हेतु काम करता है, प्रस्तावना में निहित की नियम, कानून का महत्व इसका पालन करना और सम्पूर्ण भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अपना विशेष भाग माना जाता है। अतः इसलिए भारत को हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे देश के नीति निर्धारण, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्रिया बनाता है।।